संख्या-111/2021/2756/26-3-2021-1(13)/2020

प्रेषक,

के0रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 सितम्बर 2021

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-643/स0क0/एन0एस0ए0पी0/वृ0पें0यो0- रा0पा0ला0यो0/2021-22, दिनांक-16.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2235-60-789-03-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक-2235-60-789-04-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0-70000.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **धनराशि रू0-35000.00 लाख (रू0-तीन अरब पचास करोड़ मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	मद/अनुदान का विवरण	लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति हेतु निर्गत धनराशि
1	अनुदान संख्या-83 वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना (जिला योजना)	2235-60-789-03-00-20	2600.00	1300.00
2	अनुदान संख्या-83 वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना (राज्य सेक्टर)	2235-60-789-04-00-20	67400.00	33700.00
		योग-	**70000.00**	**35000.00**

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2235-60-789-03-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक-2235-60-789-04-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-111/2021/2756(1)/26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in